कार्यालय – जिला कार्यक्रम अधिकारी (आर.एन.टी.सी.पी.), जौनपुर।

प्रयोगशाला सामग्री हेतु निविदा

पत्रांक : डी.टी.सी.एस. (निविदा)/ 2014–15/809-10 दिनांक : अक्टूबर 15 , 2014

एतद्द्वारा महामहिम् श्री राज्यपाल महोदय, उ.प्र. की ओर से पुन.रा.क्ष.नि. कार्यक्रम के अंतर्गत् क्षय रोगियों के निःशुल्क बलगम् परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रयोगशाला सामग्री/रसायनों (जिनकी निर्माता कम्पनी/ब्राण्ड नेम का विवरण निविदा प्रपत्र में अंकित है) की आपूर्ति हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	सामग्री का नाम	अनुमानित लागत (रू0)	धरोहर राशि	जमानत की धनराशि	निविदा फार्म का मूल्य
1	प्रयोगशाला सामग्री/ रसायन	अनुमानित – 10 लाख रूपये	15000–	10 प्रतिशत	रू0 200–

निविदा की शर्तें – निविदा की शर्तें निम्नवत् होंगी।

- निविदा (मुहरबंद) दो लिफाफा प्रणाली के माध्यम् से डाली जाएगी, जिनमें एक लिफाफे में समस्त अर्हता के प्रपत्र होंगे तथा दूसरे में दरों का लिफाफा होगा, को सीलबंद कर एक बड़े लिफाफे में डाला जाएगा और उसे निविदा पेटिका में डाला जाएगा। सर्वप्रथम अर्हताओं के लिफाफों को खोला जाएगा एवं जिनकी अर्हताएं पूर्ण होंगी उन्हीं की दरों का लिफाफा खोलकर विचार किया जाएगा।
- निविदाप्रपत्र का क्रय दिनांक 27.10.2014 से दिनांक : 30.10.2014 तक किसी भी कार्यदिवस को प्रातः 11:30 बजे से अपराहन 02:00 बजे तक रू0 200– नगद भुगतान कर जिला क्षय रोग अधिकारी, जौनपुर के कार्यालय से किया जा सकता है।
- निविदा दिनांक 31.10.2014 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर के कार्यालय कक्ष में निविदा समिति के सदस्यों के समक्ष रखी निविदा पेटी में पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 02:00 बजे तक निविदादाताओं द्वारा डाली जाएगी।
- प्रयोगशाला सामग्री/रसायन की आपूर्ति सम्बन्धी निविदा में जिन सामग्री/रसायनों के निर्माता कम्पनी अथवा ब्राण्ड नेम अंकित नहीं है, का सैम्पुल (आपूर्ति किये जाने वाले सामानों का) प्रत्येक निविदादाता को निविदा डालते समय पारदर्शी लिफाफे में सीलबंद कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सैम्पुल की अनुपलब्धता की स्थिति में सम्बन्धित् निविदादाता की दर पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा।
- निविदा की शेष एवं विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न होंगी। जिसका पालन निविदादाता के लिए अनिवार्य होगा। जिस निविदादाता के पक्ष में निविदा समिति द्वारा निविदा अनुमोदित की जाएगी, उसे समयबद्ध एवं सामग्री की त्वरित आपूर्ति करनी होगी। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, आर.एन.टी.सी.पी., जौनपुर के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(डा. ए.के. सिंह)
o/c जिला कार्यक्रम अधिकारी
आर.एन.टी.सी.पी., जौनपुर।

(डा. डी.के. यादव)
o/c मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जौनपुर।